तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री पंकज नरूका, सदस्य** श्री एस.पी.सिंह, अभिभाषक प्रार्थीगण श्री जी.एस.लखावत, अभिभाषक अप्रार्थीगण **आदेश** हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर कैंप मेडता द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–3–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि अप्रार्थी संख्या–1 व 2 वादीगण ने एक राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर मेडता के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय धारा 212 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सहायक कलेक्टर मेडता ने दोनों पक्षों को सुन कर निर्णय दिनांक 14–9–05 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार करते हुये प्रतिवादीगण प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर कैंप मेडता के समक्ष पेश की जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर ने निर्णय दिनांक 31–3–06 द्वारा खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहरात हुये बहस में कहा कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश कानून एवं मिसल पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य एवं राजस्व रिकोर्ड के विपरीत है। विवादित आराजी पक्षकारान की पुश्तैनी कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की भूमि है, जिसके 1/2 हिस्से के खातेदार प्रार्थी सं. 1 श्रवणसिंह के पिता चतरसिंह तथा 1/2 हिस्से भूमि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	के प्रार्थी सं.2 भंवरसिंह एवं वादीगण अप्रार्थीगण के पडदादा श्यामसिंह खातेदार थे। किंतु राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी आधार मनमाने तौर पर नामांतरकरण सं. 89 के द्वारा प्रतिवादी प्रार्थी सं.1 श्रवणसिंह के रिकोर्डेड 1/2 हिस्से की खातेदारी इंद्राज निरस्त कर सम्पूर्ण भूमि वादीगण अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर दी गई। जबकि 1/2 हिस्से पर प्रार्थीगण काबिज काश्त हैं। वादीगण अप्रार्थीगण ने कब्जेकाश्त बाबत् कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। मात्र इंद्राज के आधार पर सहायक कलेक्टर ने प्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी की है। वादीगण अप्रार्थीगण का विवादित आराजी के मात्र 1/4 हिस्से पर कब्जा काश्त है। उक्त तथ्य मौका कमिश्नर की रिपोर्ट से साबित होती है। किंतु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त समस्त तथ्यों को दरकिनार करते हुये सम्पूर्ण विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जाकाश्त होना मानकर प्रार्थीगण को निषेधाज्ञा से पाबंद किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अप्रार्थीगण का स्थगन प्रार्थना पत्र का समर्थन करने में स्पष्ट त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावें। उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थीगण उसके कब्जेकाश्त में मजाहमत पैदा करते हैं। यदि किसी रिकोर्डेड खातेदार की आराजी के कब्जेकाश्त में कोई हस्तक्षेप करता है तो उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जा सकता है। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित है और दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर ने अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार करने का मुख्य आधार यह लिया है कि प्रस्तुत नकल जमाबंदी अनुसार आराजी खसरा नंबर 49 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकोर्ड है। प्रार्थीगण इस आराजी के 3/4 हिस्से पर अपने कब्जे काश्त बाबत् किसी प्रकार का दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं कर पाये। विवादित आराजी के रिकोर्डेड खातेदार अप्रार्थीगण होने से प्रथम दृष्ट्या प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन वादीगण अप्रार्थीगण के पक्ष में होना मानते हुये परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। जिसका समर्थन अपीलीय न्यायालय द्वारा भी किया गया है। सहायक कलेक्टर ने प्रार्थीगण (वर्तमान अप्रार्थीगण) का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर प्रार्थीगण प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबदं किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर ने अपने निर्णय दिनांक 31–3–06 के द्वारा समवर्ती निष्कर्ष व्यक्त किया है एवं सहायक कलेक्टर मेडता के आदेश दिनांक 14–9–05 को यथावत रखा है। न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वारा प्रश्नगत आराजियात के सबंध में दिये गये अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश विधिसंगत है। हस्तगत् प्रकरण में प्रार्थीगण हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य साबित करने में विफल रहे हैं, जिससे प्रकरण में पारित निषेधाज्ञा को निरस्त किया जा सके। अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित है और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	परिणामतः हस्तगत निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। उभय पक्ष को निर्णय की सूचना जरिये कम्प्यूटर दी जाकर अधनीस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति के साथ भिजवाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(पंकज नरूका)** **सदस्य**	